इंद्रधनुष

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्निर्माण हेतु योजना

14 अगस्त, 2015

वित्तीय सेवाएं विभाग

वित्त मंत्रालय

विषयसूची की सारणी

नि युक्तियां.....

बैं क बोर्ड ब्यूरौ .....

पूं जीकरण

.....

.

स रकारी क्षेत्र के बैंकों को दबावमुक्त करना .....

स शक्तिकरण .....

ज बावदेही का ढांचा .....

अ भिशासन सुधार.....

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्निर्माण हेतु योजना

भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, विभिन्न अनुमोदनों के साथ-साथ भूमिअधिग्रहण इत्यादि में हुई देरी सहित विभिन्न पारंपरिक मुद्दों के कारण तथा साथ ही कम वैश्विक और घरेलू मांग के कारण कई बड़ी परियोजनाएं रूकी हुई हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंक, जिन्हें अवसंरचना वित्तपोषण का एक व्यापक भाग मिला हुआ है प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप पुनर्संरिचत परियोजनाओं के साथ-साथ सकल एनपीए के लिए प्रावधान करने के मुख्य कारण पीएसबी हेतु लाभप्रदता कम हुई है।

वर्तमान सरकार ने पीएसबी के सुधार हेतु एक समग्र ढांचा बनाया है। हाल ही में, हमने अगले चार वर्षों में पीएसबी के लिए सरकार द्वारा पूंजी आवंटन की घोषणा की है। पीएसबी हेतु पूंजी योजनाओं की घोषण सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों में से केवल एक कदम है। सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम निम्नानुसार हैं:-

क) नियुक्तियां

सरकार ने यह विनिर्धारित करते हुए कि बाद में भरी जाने वाली सीईओ की रिक्तियां एमडी और सीईओ का पदनाम प्राप्त करेंगी तथा एक अन्य व्यक्ति को पीएसबी का गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पदों को अलग करने का निर्णय लिया है। यह दृष्टिकोण वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित है तथा उपयुक्त जांच और संतुलन (चैकस एंड बेलेंसज) को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी अधिनियम के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। इन दोनों स्थितियों के लिए चयन प्रक्रिया पारदर्शी तथा गुणवत्ता आधारित रही है। एमडी और सीईओ के चयन की समस्त प्रक्रिया को पुनर्निधारित किया गया था। पांच शीर्ष बैंकों अर्थात् पंजाब नैशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक और केनरा बैंक में एमडी और सीईओ के पद हेतु निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की अनुमति प्रदान की गई थी। एमडी के पद हेतु तीन चरणों की स्क्रीनिंग की गई थी जो कि तीन विभिन्न पैनलों द्वारा अंतिम साक्षात्कार के रूप में समाप्त हुई।

पांच एमडी और सीईओ पहले नियुक्त किए गए थे। आज पांच और बैंकों- बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक और पंजाब नैशनल बैंक में एमडी और सीईओ की तथा पांच बैंकों में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की निम्नानुसार घोषणा की गई है:

एमडी और सीईओ

बैंक का नाम	नाम	आयु	वर्तमान पद
बैंक ऑफ बड़ौदा	पी एस जयकुमार	53 वर्ष	वीबीएचसी वैल्यू होम्स प्राइवेट लि. के एमडी और सीईओ
बैंक ऑफ इंडिया	एम. ओ. रेगो	56 वर्ष	उप-प्रबंध निदेशक, आईडीबीआई बैंक
केनरा बैंक	राकेश शर्मा	57 वर्ष	एमडी और सीईओ, लक्ष्मी विलास बैंक लि.
आईडीबीआई बैंक लि.	किशोर खरात पीराजी	56 वर्ष	कार्यपालक निदेशक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
पंजाब नैशनल बैंक	श्रीमती ऊषा अनंतसुब्रमण्यम	56 वर्ष	सीएमडी, भारतीय महिला बैंक

गैर-कार्यकारी अध्यक्ष

बैंक का नाम	नाम	आयु	वर्तमान/पूर्व में धारित पद
बैंक ऑफ बड़ौदा	रवि वेंकटेशन	51 वर्ष	स्वतंत्र निदेशक, इंफोसिस
बैंक ऑफ इंडिया	जी पदमानाभन	60 वर्ष	भारतीय रिजर्व बैंक के सेवानिवृत्त कार्यकारी निदेशक
केनरा बैंक	टी एन मनोहरन	59 वर्ष	निदेशक, टैक महिन्द्रा, पब्लिक हैल्थ फाउंडेशन
विजया बैंक	जी नारायणन	66 वर्ष	इंडियन ओवरसीज बैंक के सेवानिवृत्त कार्यकारी निदेशक
इंडियन बैंक	टी सी वी सुब्रामणियन	66 वर्ष	एक्जिम बैंक के सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंध निदेशक

नव नियुक्त एमडी और सीईओ/गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के जीवनवृत्त (सीवी) डाकेट में हैं।

गैर-सरकारी/स्वतंत्र निदेशकों की चयन प्रक्रिया पुनर्निधारित की गई है तथा उसे पारदर्शी बनाया गया है।

पीएसबी के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों की कुछ रिक्तियां है तथा हम अगले तीन माह में उनकी चयन प्रक्रिया पूरी करने के इच्छुक हैं। शेष छह पीएसबी में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष का चयन भी अगले तीन माह में पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही दो अन्य बैंकों में एमडी और सीईओ की नियुक्ति यथाशीघ्र की जाएगी।

ख) बैंक बोर्ड ब्यूरो

बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) की घोषणा माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में की गई थी। बीबीबी विख्यात पेशेवरों और अधिकारियों का एक निकाय होगा जो कि पीएसबी में पूर्णकालिक निदेशकों के साथ-साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु नियुक्ति बोर्ड का स्थान लेगा। वे सभी पीएसबी के निदेशक मंडल के साथ उनकी वृद्धि और विकास के लिए उचित कार्य नीतियां तैयार करने के लिए सतत रूप से कार्य भी करेंगे। **बीबीबी की संरचना इस प्रकार होगी**; बीबीबी में एक अध्यक्ष तथा छह और सदस्य होंगे जिनमें से तीन सरकारी होगें तथा तीन विशेषज्ञ होंगे (जिनमें से दो अनिवार्य रूप बैंकिंग क्षेत्र से होंगे) बीबीबी के सदस्यों हेतु खोज समिति में गवर्नर, आरबीआई तथा सचिव (वित्तीय सेवाएं) और सचिव (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) सदस्य के रूप में होंगे। बीबीबी मुख्यतया संगत एसीसी दिशानिर्देशों में यथा अनुमोदित चयन पद्धति का अनुसरण करेगा। **सदस्यों का चयन अगले छह महीनों में किया जाएगा तथा बीबीबी 01 अप्रैल, 2016 से कार्य करना प्रारंभ कर देगा**।

ग) पूंजीकरण

वर्तमान स्थिति के अनुसार, सभी बासेल-III तथा आरबीआई मानदण्डों को पूरा करने के लिए पीएसबी पर्याप्त रूप से पूंजीकृत हैं। तथापि, भारत सरकार बासेल-III के न्यूनतम मानदंडों से अधिक एक सुरक्षित बफर रखने के लिए सभी बैंकों को पर्याप्त रूप से पूंजीकृत करना चाहती है। इसलिए, हमने यह आंकलन किया है कि इस वर्ष तथा वित्त वर्ष 2019 तक के अगले तीन वर्षों में कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। यदि हम आंतरिक लाभ सृजन जो कि पीएसबी को उपलब्ध होने जा रहा है (पिछले तीन वर्ष के दौरान औसत लाभ के अनुमान पर आधारित) को छोड़ दें, **तो वित्त वर्ष 2019 तक अगले चार वर्ष के लिए अतिरिक्त पूंजी की पूंजी आवश्यकता लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए होने की संभावना है**। यह अनुमान वर्तमान वर्ष हेतु 12% की ऋण विकास दर तथा बैंक के आकार तथा उनकी विकास क्षमता पर आधारित होते हुए अगले तीन वर्ष के लिए 12% से 15% पर आधारित है। हम यह भी मान रहे हैं कि परिवर्तनशील कारपोरेट

ऋण बाजार तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अधिक भागीदारी से आने वाले वर्षों में पीएसबी के वित्तपोषण पर दबाव कम हो जाएगा।

कुल आवश्यकता में से भारत सरकार चार वर्षों के लिए नीचे दिए गए आंकड़ों के अनुसार, बजटीय आवंटनों से 70,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती है:

(i)	वित्त वर्ष 2015 -16	-	25,000 करोड़ रुपए
(ii)	वित्त वर्ष 2016-17	-	25,000 करोड़ रुपए
(iii)	वित्त वर्ष 2017-18	-	10,000 करोड़ रुपए
(iv)	वित्त वर्ष 2018-19	-	10,000 करोड़ रुपए
	योग	-	**70,000** करोड़ रुपए

हमें यह अनुमान है का पीएसबी की बाजार मूल्यांकन इन कारकों के कारण पर्याप्त रूप से सुधर जाएगा। (i) दूरगामी अभिशासन सुधार; (ii) कड़ा एनपीए प्रबंधन और जोखिम नियंत्रण; (iii) व्यापक परिचालन सुधार; तथा (iv) सरकार द्वारा पूंजी आवंटन। उन्नत मूल्यांकन निर्धारण के साथ गौण आस्तियों का मूल्य प्रकट होने और पूंजी उत्पादकता में सुधार से **पीएसबी बाजार से शेष 1,10,000 करोड़ रुपए जुटाने में सक्षम हो जाएंगे**। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता करने के लिए पीएसबी पर्याप्त रूप से पूंजीकृत रहते हैं सरकार वित्त वर्ष 18 तथा वित्त वर्ष 19 में अतिरिक्त बजटीय प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है।

हाल ही में संसद द्वारा पारित अनुपूरक मांग में वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में पहले से ही उपलब्ध कराए गए **7,940 करोड़ रुपए** के अतिरिक्त **12,000 करोड़ रुपए** की राशि पहले से ही उपलब्ध कराई गई है। शेष **5,000 करोड़ रुपए** इस वर्ष में बाद में दूसरी अनुपूरक में प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष **25,000 करोड़ रुपए की पूंजी** के आवंटन का तरीका, जैसा कि पहले घोषित किया गया था, निम्नानुसार है:

<u>भाग 1:</u>

इस राशि का लगभग 40% उन बैंकों को दिया जाएगा, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है तथा वित्त वर्ष 2016 तक प्रत्येक एकल पीएसबी को कम से कम 7.5% के स्तर पर लाया जाएगा।

भाग 2:

40% पूंजी छह शीर्ष बैंकों यथा एसबीआई, बीओबी, बोआई, पीएनबी, केनरा बैंक तथा आईडीबीआई बैंक को आवंटित की जाएगी, ताकि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु उन्हें सुदृढ़ किया जा सके।

भाग 3:

20% का शेष अंश बैंकों को कतिपय कार्य निष्पादन के आधार पर वर्तमान वर्ष की तीन तिमाहियों के दौरान उनके कार्य निष्पादन के आधार पर किया जाएगा। यह वर्तमान वर्ष के दौरान उनके कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेगा। आठ बैंकों, जिन्हें पहले दो भागों में कोई धन प्राप्त नहीं हुआ को वरीयता दी जाएगी।

भाग 1 तथा भाग 2 के लिए की गई गणनाओं के अनुसार, प्रत्येक के लिए विशिष्ट पूंजी आवंटन की गणना निम्नानुसार की गई है। यह राशि शीघ्र ही जारी की जाएगी।

क्रम सं.	**बैंक का नाम**	**पूंजी आवंटन (करोड़ रुपए में)**
1	भारतीय स्टेट बैंक	5531
2	बैंक ऑफ इंडिया	2455
3	आईडीबीआई	2229
4	बैंक ऑफ बड़ौदा	1786
5	पंजाब नैशनल बैंक	1732
6	केनरा बैंक	947
7	इंडियन ओवरसीज बैंक	2009
8	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1080
9	कार्पोरेशन बैंक	857

10	आंध्रा बैंक	378
11	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	394
12	इलाहाबाद बैंक	283
13	देना बैंक	407
योग		**20088**

इसमें शेष 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन शामिल नहीं है, जो कि वित्त वर्ष 2016 के पहले 9 माह के दौरान विभिन्न बैंकों के कार्य निष्पादन को देखने के उपरंत वित्त वर्ष 2016 की चौथी तिमाही में ही निर्धारित किया जाएगा। आठ बैंकों, जिन्हें पहले दो भागों में कोई पूंजी प्राप्त नहीं हुई को तीसरे भाग में वरीयता दी जाएगी।

बैंक पूंजी बाजारों से भी पूंजी जुटा सकते हैं।

घ) क) पीएसबी को दबावमुक्त बनाना

पिछले दशकों के दौरान अवसंरचना क्षेत्र तथा मूलभूत क्षेत्र पीएसबी के वित्तपोषण के प्रमुख प्राप्तकर्ता रहे हैं। लेकिन कुछ कारकों के कारण परियोजनाएं अत्यधिक रूप से रूकी/दबावग्रस्त हैं, इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप बैंकों पर एनपीए का भार बढ़ा है। हाल की समीक्षा में, विद्युत, इस्पात तथा सड़क क्षेत्रों में दबाव का कारण बन रही समस्याओं की जांच की गयी थी। यह पाया गया था कि इन परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण विभिन्न सरकारी तथा विनियामकीय एजेंसियों से परमिट तथा अनुमोदन प्राप्त करने, तथा भूमि अधिग्रहण में देरी, वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) में देरी करना; कोयला तथा गैस दोनों, ईंधन की उपलब्ध की कमी; कोयला ब्लाकों को रद्द करना; लोह अयस्क खादानों को बंद करने से परियोजना व्यवहार्यता का प्रभावित होना; पारेषण क्षमता में कमी; अपनी गृह क्षमता घटने के कारण डि□स्कॉम द्वारा विद्युत की सीमित खरीद; अतिरिक्त इक्विटी जुटाने के लिए प्रवर्तकों की सीमित क्षमता द्वारा वित्तपोषण अंतराल की स्थिति सामने आना तथा उच्च लेबरेज अनुपात को देखते हुए बैंकों द्वारा उनके ऋण जोखिम को बढ़ाने में असमर्थता; विनियामकीय बाध्यताओं के कारण व्यवहार्य पाई गई परियोजनाओं की पुनर्संरचना में बैंकों की अक्षमता थे। इस्पात क्षेत्र के मामले में व्याप्त बाजार परिस्थितियां यथा वैश्विक अत्यधिक क्षमता के साथ-साथ वैश्विक

मूल्यों में पर्याप्त कमी के कारण मांग में कमी तथा घरेलू मूल्यों के टूटने से उनकी परेशानियां बढ़ गईं।

पहले प्रत्येक क्षेत्र में समस्याओं को समझने हेतु सभी बैंकों तथा संबंधित मंत्रालयों के साथ मुम्बई में 28, अप्रैल, 2015 को एक बैठक आयोजित की गई थी। तदनंतर, प्रत्येक क्षेत्र के समस्या बिन्दुओं को और आगे समझने के लिए विभिन्न स्तर पर इस्पात, विद्युत और सड़क क्षेत्रों की परियोजनाओं के प्रवर्तकों के साथ बैठकें आयोजित की गई थीं। **इन बैठकों के उपरांत कुछ प्रस्तावित/की गई कार्रवाईयां निम्नानुसार हैं**:-

(i) **लंबित अनुमोदन/परमिटों को शीघ्रता से जारी करने** को सुकर बनाने के लिए परियोजना निगरानी समूह (मंत्रिमंडल सचिवालय)/संबंधित मंत्रालय, संबंधित एजेंसियों के साथ मामले को उठाएंगे।

(ii) परियोजना के कार्यान्वयन/परिचालन को सुकर बनाने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा लंबित **नीतिगत निर्णय** उठाए जाएंगे।

(iii) इन परियोजनाओं के लिए ईंधन की **दीर्घावधिक उपलब्धता** की समस्या को दूर करने के लिए कोयला/पीएनजी मंत्रालय नीतियां तैयार करेंगे।

(iv) शीघ्र सुधार सक्षम बनाने हेतु संबंधित **डिस्कॉम को मदद (हैंड होल्डिंग)** उपलब्ध कारई जाएगी।

(v) इन परियोजनाओं के बिगड़ते हुए लेबरेज अनुपात को सुधारने के एक प्रयास के रूप में **प्रवर्तकों** को **अतिरिक्त इक्विटी** लाने के लिए कहा जाएगा। जहां पर प्रवर्तक इस अपेक्षा को पूरा करने में असक्षम है, वहां बैंक **प्रतिस्थापन अथवा प्रबंधन नियंत्रण को अपने हाथ में लेने** के लिए व्यवहार्य विकल्पों पर विचार करेंगे।

(vi) सरकार द्वारा अगले (डाउन स्ट्रीम) उपयोगकर्ता उद्योग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना **विद्यमान ड्यूटी व्यवस्था** में परिवर्तन करने की संभावना पर विचार किया जाएगा। **इस बात पर आयात ड्यूटी को बढ़ाने का निर्णय पहले ही ले लिया गया है**।

(vii) जहां पर बैंक व्यवहार्य पाते हैं, वहां पर विद्यमान ऋणों की **पुनर्संरचना में और लचीलापन प्रदान करने** के बैंकों के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आरबीआई से अनुरोध किया गया है।

घ) ख) जोखिम नियंत्रण उपायों तथा एनपीए पृकटनों को सुद्ढ़ बनाना

एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए डीआरटी तथा सरफासी तंत्र के अंतर्गत वसूली प्रयासों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं:

i. आरबीआई ने "**वित्तीय आपदा के शीघ्र पहचान, उधारदाताओं के लिए उचित वसूली और समाधान के लिए तत्पर कदम: अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों के पुनरूज्जीवन हेतु ढांचा**" हेतु 30 जनवरी, 2014 के दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें दबावग्रस्त आस्तियों की शीघ्र पहचान और समाधान हेतु विभिन्न कदम सुझाए गए हैं:

- पांच करोड़ रुपए तथा उससे अधिक के ऋण जोखिमों संबंधी आंकड़ों के संग्रहण, भंडारण तथा बैंकों को प्रसारित करने हेतु आरबीआई द्वारा **बड़े ऋणों पर सूचना की एक केंद्रीयकृत रिपॉजिटरी (सीआरआईएलसी) का सृजन**,
- **संयुक्त उधारदाता फोरम (जेएलएफ), सुधारात्मक कार्य योजना (सीएबी) तैयार करना, तथा आस्तियों की बिक्री** - इस ढांचे में जेएलएफ तथा सुधारात्मक कार्य योजना जो समस्याग्रस्त मामलों की शीघ्र पहचान, व्यवहार्य समझे जाने वाले खातों की समय से पुनर्संरचना और अव्यवहार्य खातों की वसूली अथवा बिक्री के लिए बैंकों द्वारा तत्परता से कदम उठाने को प्रोत्साहित करेगी, की रूप रेखा दी गई है।

Ii. अवसंरचना तथा आधारभूत (कोर) उद्योगों को दीर्घावधिक परियोजना ऋणों की लचीली संरचना- आरबीआई ने 15 जुलाई, 2014 तथा 15 दिसम्बर, 2014 को दिशानिर्देश जारी किए थे-

- इस क्षेत्र में व्यापक निजी क्षेत्र भागीदारी को प्रोत्साहित करने में अवसंरचना हेतु दीर्घावधिक वित्तपोषण एक प्रमुख बाध्यता रही है। आस्ति की ओर, संभावित प्रतिकूल आकस्मिकताओं को समाहित करने के लिए अवसंरचना क्षेत्र को लचीली संरचना वाले दीर्घावधिक ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित किया जाएगा, **(5/25 संरचना के रूप में भी जाना जाता है)**।

iii. इरादतन चूककर्ता/गैर-सहयोगी उधारकर्ता:

अब आरबीआई ने असहयोगी उधारकर्ता नामक उधारकर्ता की एक नई श्रेणी बनाई है। एक असहयोगी उधारकर्ता वह उधारकर्ता है, जो बैंकों को अपने वित्त पर जानकारी प्रदान नहीं करता है। यदि बैंक ऐसे उधारकर्ता को नए ऋण प्रदान करते हैं तो उन्हें उच्चतर प्रावधान करना होगा।

असहयागी के रूप में सूचित किसी उधारकर्ता को नए ऋण जोखिम के लिए उच्चतर प्रावधान करने की आवश्यकता होगी। ऐसे उधारकर्ताओं के साथ-साथ किसी ऐसी कंपनी जिसके

निदेशक मंडल में कोई पूर्णकालिक निदेशक/असहयोगी उधारकर्ता कंपनी का कोई प्रवर्तक हो अथवा कोई ऐसी कंपनी जिसके प्रबंधन कार्य का प्रभारी कोई ऐसा असहयोगी उधारकर्ता हो को स्वीकृत नए ऋणों के संबंध में अवमानक आस्तियों पर यथा लागू के अनुसार, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को उच्चतर प्रावधान करना अपेक्षित है।

iv. आस्ति पुनसंरचना कंपनियां:

इस क्षेत्र में और कदम उठाते हुए आरबीआई ने 5 अगस्त, 2014 के दिशानिर्देशों के तहत आस्ति पुनर्सरचना कंपनियों (एआरसी) के लिए मानदंडों को कड़ा किया है, जिसमें प्रतिभूति रसीद में न्यूनतम निवेश 15% होना चाहिए जो कि पहले 5% था। यह कदम एआरसी द्वारा क्रय की गई आस्तियों में उसके नकद शेयर (स्टेक) को बढ़ा देगा। इसके अतिक्ति, अधिक नकदी होने से, बैंकों को अपने तुलन पत्र को स्वच्छ रखने के लिए बेहतर प्रोत्साहन मिलेगा।

v. छह नए डीआरटी की स्थापना:

सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में अशोध्य ऋणों की वसूली को गति प्रदान करने के लिए छह नए ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) (चंडीगढ़, बेंगलूरू, एर्नाकुलम, देहरादून, सिलिगुड़ी, हैदराबाद में) की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

ड.) सशक्तिकरण:

सरकार ने एक परिपत्र जारी किया है कि सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा तथा संगठन के वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रखते हुए बैंकों को स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। व्यवधान और हस्क्षेप के बीच में एक स्पष्ट अंतर बना दिया गया है। स्वायत्ता के साथ जबावदेही आती है, तदनुसार बैंकों को अपने ग्राहकों के साथ-साथ अपने स्टाफ की शिकायतों के निवारण हेतु एक ठोस शिकायत निवारण तंत्र बनाने को कहा गया है ताकि प्रभावित लोगों की चिंताओं को समयबद्ध रूप में प्रभावी रूप से दूर किया जा सके।

सरकार की यह मंशा है कि बैंकों को मानव शक्ति की सेवाएं लेने के लिए अधिक लचीलपन प्रदान किया जाए। सरकार बोर्ड में एनओडी के रूप में अपेक्षित पेशेवर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि बहुश्रुत और सुविचारित निर्णय लिए जा सकें।

(च) जबावदेही का ढांचा:

(क) बैंक के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने संबंधी वर्तमान प्रणाली एसओआई उद्देश्य का विवरण नामक एक प्रणाली थी। वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित कतिपय मानदंड के आधार पर बैंक अपने वार्षिक लक्ष्य के आंकड़ें तैयार करते थे, जिन्हें मांत्रालय और बैंकों के बीच चर्चा के उपरंत अंतिम रूप दिया जाता था। समस्त प्रक्रिया में काफी समय लगता था तथा किसी समय

बैंकों के लिए लक्ष्य वर्ष के अंत में ही निर्धारित होते थे, जिसे किया जाना वांछनीय नहीं है। इसमें हम दो परिवर्तन कर रहे हैं:

(i) पीएसबी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किए जाने के मुख्य कार्य निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के एक नए ढांचे की घोषणा की जा रही है। वह चार भागों में विभक्त है जिनका योग 100 अंक है। पूंजी उपयोग की दक्षता से संबंधित संकेतकों तथा कारोबार/प्रक्रियाओं की विविधता प्रत्येक के 25 अंक तथा एनपीए प्रबंधन और वित्तीय समावेशन की श्रेणी के अंतर्गत विशिष्ट संकेतकों के संबंध में प्रत्येक के लिए 15 अंक आवंटित किए गए हैं। मात्रात्मक और मूल्यांकन योग्य मानदण्ड के लिए आवंटित किए जाने वाले कुल अंक 80 हैं।

(ii) शेष 20 अंक गुणात्मक मानदण्डों, जिसमें आस्ति गुणवत्ता को सुधारने के लिए **कार्यनीतिक पहल**, पूंजी संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयास, मानव संसाधन संबंधी पहल तथा बाह्य क्रेडिट रेटिंग में सुधार शामिल हैं, के लिए आरक्षित है। गुणात्मक कार्यनिष्पादन का आकलन सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष बैंकों द्वारा दिए जाने वाले प्रस्तुतिकरण के आधार पर किया जाएगा।

केपीआई हेतु नया ढांचा कार्य सूची में शामिल है।

केपीआई के ढांचे के माध्यम से मूल्यांकित परिचालन कार्यनिष्पादन को सरकार द्वारा बैंकों के एमडी एवं सीईओ को प्रदान किए जाने वाले **कार्यनिष्पादन बोनस** के साथ जोड़ा जाएगा। कार्यनिष्पादन बोनस को और अधिक आकर्षक बनाने हेतु उसकी मात्रा में शीघ्र संशोधन किए जाने का भी प्रस्ताव है। **हम पीएसबी के शीर्ष प्रबंधन हेतु ईएसओपी के लिए भी** विचार कर रहे हैं।

(ख) वित्तीय सेवाएं विभाग ने पीएसबी को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें धोखाधड़ी, मामलों की शिकायतें सीबीआई में दायर करने के साथ-साथ लगभग दैनिक आधार पर प्रत्येक मामले की निगरानी हेतु कड़ी समय सीमा निर्धारित की गयी है।

(ग) स्टाफ की मिलीभगत सहित प्रमुख धोखाधड़ियों के लिए शीघ्र कार्रवाई हेतु सतर्कता प्रक्रिया को सुचारू बनाना। ऋण संबंधी धोखाधड़ियों से निपटने के लिए ढांचे को सुचारू बनाने हेतु आरबीआई ने मई, 2015 में दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए दिशानिर्देशों के अंतर्गत छह माह की समय सीमा, खातों की रेड फ्लैगिंग, बैंकों में स्वीकृति से पूर्व तथा संवितरण की निगरानी के लिए जोखिम प्रबंधन समूह (आरएमजी) का गठन, सीबीआई के पास शिकायतें दर्ज करने हेतु शीर्षस्थ अधिकारी, चार तिमाहियों में प्रावधान करना तथा केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री का सृजन निर्धारित किए गए हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने 50 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी

के लिए पीएसबी को सीवीओ को नोडल अधिकारी बनाने का निदेश दिया है, समूह उधार में सभी बैंकों के लिए अग्रणी बैंक एफआईआर दर्ज करेगा तथा बैंक के धोखाधड़ी मामलों की समीक्षा और प्रगति की निगरानी के लिए सीबीआई ने एक अधिकारी नामोदिष्ट किया है।

(छ) अभिशासन सुधार:

अभिशासन सुधार की प्रक्रिया "ज्ञान संगम" के साथ आरंभ हुई। वर्ष 2015 के प्रारंभ में पुणे में पीएसबी और एफआई की कान्क्लेव आयोजित किया जिसमें प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राज्यमंत्री (वित्त), गवर्नर, आरबीआई तथा सभी पीएसबी और एफआई के सीएमडी सहित सभी पणधारकों ने भाग लिया। छह विभिन्न विषयों पर फोकस समूह चर्चा हुई थी जिसके परिणामस्वरूप **पूंजी का इष्टतम प्रयोग करने**, प्रक्रियाओं को डिजिटाइज करने, जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने, प्रबंधकीय कार्यनिष्पादन तथा वित्तीय समावेशन को सुधारने के संबंध में विशिष्ट निर्णय लिए गए। **बैंक बोर्ड ब्यूरो** की स्थापना का निर्णय जो कि बाद में माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में घोषित किया गया, ज्ञान संगम की सिफारिशों से आया। साथ ही, इस कान्क्लेव में प्रधान मंत्री ने बैंकरों से महत्वपूर्ण वायदा किया कि उनके वाणिज्यिक निर्णयों के मामले में सरकार के किसी कार्यपालक (फंक्शनरी) द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा।

माननीय प्रधानमंत्री के इस वायदे को, तत्काल ही सभी बैंकों को जारी एक परिपत्र जिसमें उन्हें "**कोई हस्तक्षेप नहीं की नीति**" का आश्वासन देने के साथ ही उन्हें उधारकर्ताओं, जमाकर्ताओं और स्टाफ के शिकायत निवारण हेतु एक ठोस तंत्र बनाने के लिए कहा गया। ज्ञान संगम सिफारिशों में जोखिम प्रबंधन पद्धतियों को सुदृढ़ करना शामिल था। प्रत्येक बैंक ने एक वरिष्ठ अधिकारी को बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नामित करने हेतु सहमति दी। उच्चतर वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केंद्र (सीएएफआरएएल) द्वारा हाल ही में मुख्य जोखिम अधिकारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सरकार समीक्षा बैठक तथा कार्यनीतिक समीक्षाओं के सत्रों इत्यादि के माध्यम से लगातार बैंकों के संपर्क में है। एचआर प्रबंधन पद्धतियों में सुधार तथा अड़चनों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित है ताकि बैंक सार्वजनिक संसाधनों को साझा कर सके तथा एक साथ काम कर सकें। बैंकों के बोर्डों को सशक्त बनाने हेतु विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

इस वर्ष के ज्ञान संगम के अनुक्रम में शीर्ष स्तर के अधिकारियों के साथ कार्यनीति पर चर्चा करने हेतु अगला ज्ञान संगम 14-16 जनवरी, 2016 के बीच आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, शीर्ष प्रबंधन हेतु ईएसओपी की योजना तैयार की जा रही है। अन्य कार्यनीतिक पहल जैसे कि समेकन इत्यादि पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

पीएसबी में परिवर्तन के संबंध में इन्द्रधनुष संरचना में दर्शाया गया सुधार वर्ष 1970 में बैंकों के राष्टीयकरण के पश्चात् उठाया गया सबसे व्यापक सुधार है। अब हमारे पीएसबी तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय सेवाओं के परिदृश्य में प्रतिस्पर्धा करने और अपना विस्तार करने के लिए तैयार हैं।

****

पीएसबी के नव नियुक्त गैर-कार्यकारी अध्यक्षों का विवरण

बैंक का नाम	नाम	आयु	वर्तमान/पूर्व में धारित पद
बैंक ऑफ बड़ौदा	रवि वेंकटेशन	51 वर्ष	स्वतंत्र निदेशक, इंफोसिस
बैंक ऑफ इंडिया	जी पदमानाभन	60 वर्ष	भारतीय रिजर्व बैंक के सेवानिवृत्त कार्यकारी निदेशक
केनरा बैंक	टी एन मनोहरन	59 वर्ष	निदेशक, टैक महिन्द्रा, पब्लिक हैल्थ फाउंडेशन
विजया बैंक	जी नारायणन	66 वर्ष	इंडियन ओवरसीज बैंक के सेवानिवृत्त कार्यकारी निदेशक
इंडियन बैंक	टी सी वी सुब्रामणियन	66 वर्ष	एक्जिम बैंक के सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंध निदेशक

क्रम सं.	नाम	कैरियर प्रोफाइल
1.	रवि वेंकटेशन	रवि वेंकटेशन इन्फोसिस के बोर्ड में निदेशक तथा सेंटर फार हायर अम्बीशन लीडरशिप, बोस्टन के सदस्य भी हैं। वह बंज लि., हारवर्ड बिजनेस स्कूल के ग्लोबल अलूगनी बोर्ड एवं मेरिको इन्नोवेशन फाउंडेशन की सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। वर्ष 2004 एवं 2011 के बीच वह माइक्रोसाफ्ट इंडिया के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में माइक्रोसाफ्ट का दूसरा सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला क्षेत्र बन गया था। माइक्रोसाफ्ट से पहले उन्होंने कम्मिन्स आईएनसी के साथ कम्मिन्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में 16 वर्ष बिताए, उन्होंने अपनी कंपनी को भारत में उर्जा समाधान तथा ओटोमोटिव इंजनों के प्रमुख प्रदाता के रूप में कायापलट कर दिया। उनके पास भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थान, मुम्बई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्नातक की उपाधि, परड्यू विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि एवं हारवर्ड बिजनेस स्कूल से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर उपाधि है।
2.	टी.एन. मनोहरन	टी.एन. मनोहरन ने वर्ष 2006-07 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और भारतीय प्रणाली में कई लेखा सुधारों हेतु रूप-रेखा तैयार करने में सहायक बने तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 में सक्रिय संशोधन की अगुवाई की। श्री मनोहरन एकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन के आईसीएआई के अध्यक्ष थे। वर्ष 2006-07 के दौरान वह बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के बोर्ड में थे और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) एवं केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा गठित समितियों में भी शामिल थे। भारत सरकार के द्वारा श्री मनोहरन को सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लि. के बोर्ड में नामित किया गया था। उन्होंने बहुत कम समय में पूर्व महिन्द्रा सत्यम के पुनरुज्जीवन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत सरकार ने वर्ष 2010 में उन्हें 'पद्म श्री' से सम्मानित किया।
3.	जी. नारायणन	जी. नारायणन ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के अपने 38 वर्ष से अधिक के सेवाकाल के दौरान इण्डियन ओवरसीज बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में सेवा की है। पहले वह बैंक आफ इंडिया के महाप्रबंधक थे और वह कोषागार परिचालन का संचालन करते थे। श्री नारायणन ने सेन्ट्रल कैपिटल लि. तथा भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि. में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है। वह क्लीयरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि. में निदेशक थे। उन्होंने आईएल एवं एफएस इंवेस्टमेंट मैनेजर्स लि. तथा भारतीय प्रतिभूति व्यापार

		निगम में निदेशक के रूप में कार्य किया है। श्री नारायणन को कारपोरेट विधि में डिप्लोमा है। उन्होंने मैनेजमेंट एकाउटेंट (एमएसी-1) को भी पूरा कर लिया है। वे मद्रास विश्वविद्यालय से बी.कॉम हैं।
4.	टी.सी. वेंकट सुब्रमणियन	टी.सी. वेंकट सुब्रमणियन ने एक्जिम बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में कार्य किया है। उन्हें औद्योगिक एवं एक्सपोर्ट वित्तीयन का विस्तृत अनुभव है। वर्ष 1982 में जब एक्जिम बैंक का गठन किया गया था तब उन्होंने एक्जिम बैंक में कार्यभार ग्रहण किया था एवं वर्ष 2009 तक इसके सीईओ के रूप में कार्यरत रहे। उन्होंने व्यावसायिक कार्य संस्कृति के साथ एक्जिम बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के मॉडल संगठन बनाने में सक्रिय रूप से योगदान दिया। एक्जिम बैंक से पहले उन्होंने बैंक आफ इंडिया एवं आईडीबीआई में कार्य किया। उनके पास बीई, सीएआईआईबी एवं आईसीडब्ल्यूएटी (इंटर) की उपाधियां हैं।
5.	जी. पद्मनाभन	श्री जी. पद्मनाभन ने भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य किया। श्री पद्मनाभन ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग को संभाला। कार्यपालक निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले श्री पद्मनाभन ने मार्च 2005 से बैंक में भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग का नेतृत्व किया। वे केरल विश्वविद्यालय से इकोनोमिक्स में स्नातकोत्तर (प्रथम श्रेणी - प्रथम) एवं बर्मिंघम विश्वविद्यालय, यूके से एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग एवं वित्त) हैं।

बैंक का नाम	नाम	आयु	वर्तमान स्थिति
बैंक आफ बड़ौदा	पी.एस. जयकुमार	53 वर्ष	एमडी एवं सीईओ, वीबीएचसी वेल्यू होम्स प्रा. लि.
बैंक आफ इंडिया	एम.ओ. रेगो	56 वर्ष	उप प्रबंध निदेशक, आईडीबीआई बैंक
केनरा बैंक	राकेश शर्मा	57 वर्ष	एमडी एवं सीईओ, लक्ष्मी विलास बैंक लि.
आईडीबीआई बैंक लि.	किशोर खरात पीराजी	56 वर्ष	कार्यपालक निदेशक, यूनियन बैंक आफ इंडिया
पंजाब नैशनल बैंक	श्रीमती उषा अनंत सुब्रमणियन	56 वर्ष	सीएमडी, भारतीय महिला बैंक

1.	के. पी. खरात	के. पी. खरात यूनियन बैंक आफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक हैं। तीन दशकों से अधिक के कार्यकाल में उन्हें बैंक आफ बड़ौदा में उन्हें विभिन्न अनुभव प्राप्त हुए जिसमें ऋण प्रशासन, विदेशी कारोबार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं भारत तथा विदेशों में सामान्य प्रशासन शामिल है। श्री खरात ने ट्रिविडैड एवं टोबंगो, वेस्टइंडीज में बैंक आफ बड़ौदा में विदेशी अनुषंगी बैंक का गठन किया तथा नेतृत्व किया। उनकी अन्य विदेशी नियुक्ति शारजहा (यूएई) में थी। अपनी पिछली नियुक्ति में श्री खरात ने बैंक आफ बड़ौदा के महाप्रबंधक के रूप में वित्तीय समावेशन वेर्टिकल का नेतृत्व किया, जहां वे मुख्य वित्तीय समावेशन पहलुओं के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख प्रवर्तक रहे थे। श्री खरात के पास कामर्स, सीएआईआईबी एवं विधि में स्नातक की उपाधि है। उनके पास प्रबंधन में एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा भी है।
2.	उषा अनंत सुब्रमणियन	उषा अनंतसुब्रमणियन भारतीय महिला बैंक की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। बैंक के सीएमडी का पदभार ग्रहण करने से पहले वह दो वर्ष तक पंजाब नैशनल बैंक की कार्यपालक निदेशक थी। उन्होंने अपना कैरियर एलआईसी से शुरु किया। उन्होंने फरवरी 1982 में बैंक आफ बड़ौदा के योजना स्ट्रीम में विशेषज्ञ अधिकारी के रूप में बैंकिंग उद्योग में कार्यभार ग्रहण किया और महाप्रबंधक तक बन गई। तीन दशकों से अधिक के अपने कैरियर में उन्होंने बैंकिंग तथा संबद्ध क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। धारित मुख्य कार्यभार में महाप्रबंधक, साउथ अंचल, बैंक आफ बड़ौदा एवं जीवन बीमा संयुक्त उद्यम फार्मेशन शामिल है। वह री-ब्रांडिंग एवं नवोन्मेषी एचआर उपक्रम सहित बैंक आफ बड़ौदा की रुपांतरण परियोजना से संबद्ध थी। उनके पास मद्रास विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि तथा मुम्बई विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय संस्कृति में स्नातकोत्तर की उपाधि है।
3.	एम. ओ. रेगो	श्री एम. ओ. रेगो आईडीबीआई बैंक के उप प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 1984 से जबसे उन्होंने आईडीबीआई में कार्यभार ग्रहण किया है, तबसे अपने 31 वर्ष के बैंकिंग कैरियर में कोर बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में उनका विस्तृत अनुभव था और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग एवं ट्रेजरी में उनकी विशेष योग्यता है। देयता प्रबंधन के लिए विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स के क्षेत्र में वह आगे रहे और इसके परिणामस्वरूप डेरिवेटिव्स मार्केट में सभी भारतीय बैंकों के बीच में आईडीबीआई बैंक प्रथम रहा। वह आईडीबीआई आवास वित्त लि. के एमडी एवं सीईओ थे जो उनके नेतृत्व में अनुभवहीन कंपनी के स्तर से चौथी सबसे बड़ी वित्तीय कंपनी बन गई। वे पुणे विश्वविद्यालय से बी.कॉम तथा सिंबोसिस इंस्टीट्यूट आफ बिजनेस मैनेजमेंट, पुणे से एमबीए (वित्त) हैं।

4.	राकेश शर्मा	लक्ष्मी विलास बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री राकेश शर्मा पहले भारतीय स्टेट बैंक के साथ थे जहां उनका अंतिम कार्यभार मुख्य महाप्रबंधक का था। श्री शर्मा ने विभिन्न विभागों राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों का नेतृत्व करते हुए 33 वर्षों तक एसबीआई की सेवा की। उनका कार्य क्षेत्र खुदरा एवं थोक बैंकिंग, आस्ति देयता प्रबंधन, ऋण समूहन, व्यापार वित्त एवं कार्मिक विकास था। एसबीआई में अपने कार्यकाल के दौरान श्री शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय बैंक समूह (आईबीजी) के लिए बैंकिंग परिचालनों का संचालन किया जिसमें बैंक के सभी विदेशी कार्यालयों के तुलन-पत्रों का समेकन शामिल था। टोक्यो में तैनाती के समय जापान में कार्यरत एसबीआई की शाखाओं के सम्पूर्ण प्रभार उनके पास था। श्री शर्मा के पास बी.कॉम स्नातक एवं अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि है।
5.	पी. एस. जयकुमार	श्री पी. एस. जयकुमार वेल्यू एंड बजट हाउसिंग कारपोरेशन प्रा. लि. के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। श्री जयकुमार ने मई 2008 से हेड आफ बैलेंसशीट ओप्टीमाईजेशन - ट्रेजरी इन एशिया पैसिफिक एट सिटीग्रुप इंक में कार्य किया है। श्री जयकुमार ने वर्ष 1986 में सिटी बैंक में अपना कैरियर शुरु किया और उन्होंने भारत एवं एशिया पैसिफिक ग्राहक कारोबार हेतु देश के प्रमुख एवं एशिया पैसिफिक में ग्राहक लैंडिग कारोबार हेतु प्रमुख बने रहने सहित कई वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर कार्य किया। 24 वर्ष के अपने बैंकिंग कैरियर में श्री जयकुमार ने भारत में खुदरा बैंकिंग के विकास में काफी योगदान दिया है। श्री जयकुमार ने एशिया पैसिफिक एट सिटीग्रुप इंक के क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में कार्य किया है। उन्होंने होम फार्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया प्रा. लि. एवं वेल्यू एंड बजट हाउसिंग कारपोरेशन प्रा. लि. के निदेशक के रूप में कार्य किया। वे लंदन स्कूल आफ इकनोमिक्स एंड पोलिटिकल साईंस ऑन ग्लोबलाईजेशन से गुरुकुल चेवेनिंग स्कोलर हैं। उनके पास एक्सएलआरआई, जमशेदपुर से प्रबंधन में स्नातकोत्तर की उपाधि एवं मद्रास विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक की उपाधि है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रमुख कार्यनिष्पादक संकेतक

क. मात्रात्मक पैरामीटर

	पैरामीटर	अधिकतम अंक	पिछले वर्ष की तुलना में पूरे अंक प्राप्त करने हेतु अपेक्षित सुधार
पूंजी प्रयोग की दक्षता		**25**	
क.	आस्तियों का प्रतिफल	10	20 बीपीएस
ख.	इक्विटी का प्रतिफल	5	300 बीपीएस
ग.	एनआईएम (घरेलू)	5	10 बीपीएस
घ.	कुल आय के % के रूप में लागत *	2.5	250 बीपीएस (घटोतरी)
ड.	कुल आय के % के रूप में लागत (व्यय/कर्मचारियों के लिए प्रावधान) *	2.5	100 बीपीएस (घटोतरी)
*** कुल आय = निवल ब्याज आय + कुल अन्य आय**			
वृद्धि/कारोबार/प्रक्रियाओं की विविधता		**25**	
क.	शुल्क आधारित आय **	7.5	200 बीपीएस
ख.	कुल ऋण के % के रूप में फुटकर ऋण में वृद्धि	7.5	300 बीपीएस
ग.	कुल लेन-देन के % के रूप में वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से हुई लेन-देनों की संख्या में वृद्धि	5	500 बीपीएस
घ.	सेविंग बैंक : कुल जमाराशि के मांग में सुधार	5	100 बीपीएस
**** कुल आय = निवल ब्याज आय + कुल अन्य आय**			
	एनपीए प्रबंधन	**15**	
क.	सकल अग्रिमों के % के रूप में ह्रासित आस्तियां	10	100 बीपीएस (घटोतरी)
ख.	सकल अनुप्रयोज्य आस्तियों का	5	1000 बीपीएस

	उपयोग करने पर नकद वसूली में हुई बढ़ोतरी के % के रूप में		
	वित्तीय समावेशन	**15**	
क.	बैंकों द्वारा खोले गए कुल पीएमजेडीवाई खातों में शून्य शेष	2	20 % से कम
ख.	पीएमजेडीवाई खातों हेतु : बैंकों द्वारा जारी किए गए कुल रुपे कार्ड बनाम सक्रिय रूपे कार्ड का %	2	10 % से अधिक
ग.	आईबीए दिशानिर्देशों के अनुसार उन पात्र पीएमजेडीवाई खातों का % जिन्हें बैंकों द्वारा ओवरड्राफ्ट सुविधा का संवितरण किया गया है	2	20 % से अधिक
घ.	बैंकों खातों से आधार को जोड़ना	2	75 % से अधिक
ड.	इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन में भागा बनाम जमाराशियों (पीएसबी के योग की तुलना में) में बैंक का भाग	2	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भाग जमाराशियों के समान हो अथवा अधिक हो
च.	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करना	2	75 % से अधिक
छ.	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आवासीय ऋणों में वृद्धि की तुलना में सकल बैंक ऋण में वृद्धि	2	कुल ऋणों में 5% की बढ़ोतरी
ज.	शिक्षा ऋणों के संवितरण में वृद्धि (पिछले वित्त वर्ष के दौरान संवितरण की तुलना में)	1	20% से अधिक
	कुल	**80**	

अधिकतर स्तर से कम हासिल किए गए सुधार का मूल्यांकन, उपलब्धि के अनुपातिक आधार पर किया जाएगा। भिन्नों (अंशों) में प्राप्त अंकों को नजदीकी इकाई तक कर दिया जाएगा। वित्तीय समावेशन हेतु, अधिकतम से कम स्कोर का मूल्यांकन विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स के अनुसार

किया जाएगा।

ख. गुणवत्तात्मक पैरामीटर

	पैरामीटर	अधिकतम अंक	बेंचमार्क करना
क.	विदेशी ऋण रेटिंग में सुधार	5	विदेशी ऋण रेटिंग में सुधार
ख.	आस्ति गुणवत्ता के सुधार हेतु की गई कार्यनीतिक पहल	5	प्रबंधन द्वारा आस्ति गुणवत्ता के सुधार हेतु की गई कार्यनीतिक पहल
ग.	पूंजी संरक्षण के लिए किए गए प्रयास	5	पूंजी संरक्षण से इतर प्रयास
घ.	एचआर पहलें (कौशल विकास और कुशलता का प्रबंधन)	5	नवोन्मेषी पहलें तथा ह्रास की दर
	कुल	**20**	
गुणवत्तात्मक पैरामीटरों के मूल्यांकनों को, सचिव (वित्तीय सेवाएं) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा, अंतिम रूप दिया जाएगा।			
	सकल योग	**100**	